

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 155/10 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 63 आर.ए.एस.

- श्री कालु लाल पिता लालु जाति जाट निवासी जियाखेडी तहसील बड़ीसादड़ी मूलक के बजाय
1. मु. भगवानी बाई पत्नी कालु लाल जाति जाट निवासी जियाखेडी तहसील बड़ीसादड़ी
  2. श्री प्रकाश पुत्र कालु लाल जाति जाट निवासी जियाखेडी तहसील बड़ीसादड़ी
  3. श्रीमति कमला पुत्री कालु लाल जाति जाट निवासी जियाखेडी तहसील बड़ीसादड़ी
  4. श्रीमति रामी पुत्री कालु लाल जाति जाट निवासी जियाखेडी तहसील बड़ीसादड़ी
  5. श्रीमति उंकार पुत्री कालु लाल जाति जाट निवासी जियाखेडी तहसील बड़ीसादड़ी

— वादीगण

|| बनाम ||

1. श्री चम्पालाल पिता लालु जाति जाट निवासी जियाखेडी तहसील बड़ीसादड़ी
2. भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी.

प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा जियाखेडी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- प्रकाश पिता कालु 4/5 भगवानीबाई पत्नी कालु 4/5 जाट सा.देह. रहन बी.ओ.बी. शाखा बोहेडा

आ.न.	रकबा	लगान
167/मी	0.21	8.82
168/मी	0.46	15.18
172/मी	0.11	2.09
264/मी	0.79	15.01
374/मी	0.85	2.55
651/मी	0.97	18.43 खाते में हक त्याग होने से
6	3.39	62.02

2- चम्पालाल पिता लालु जाट सा.देह. रहन दी बैंक आफ राजस्थान लि. शाखा वानसी

आ.न.	रकबा	लगान
167/1	0.22	9.24
168/1	0.45	14.05
172/1	0.12	2.28
264/1	0.78	14.82
374/1	0.85	2.55
651/1	0.98	18.62
5	3.40	62.36

3- प्रकाश पिता कालु मु. भगवानीबाई पत्नी कालु 1/2 चम्पालाल पिता कालु 1/2 जाट सा.देह.

आ.न.	रकबा	लगान
166/1	0.01	0.42
1	0.01	0.42

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।  
निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।



*(Signature)*  
जितेन्द्र कुमार पाण्डे  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी